संख्या– 303 / भा.विवि / कुसका / 2024 दिनांक : 02 मार्च, 2024

32वीं कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 02 मार्च, 2024 को प्रातः 11:00 बजे आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्यपरिषद् की 31वीं बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहेः–

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार ओझा (से.नि.), निवास 3 / 494, विकल्प खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010	न्यायिक सदस्य
3.	प्रो0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी0जी0 कॉलेज (के0के0वी0), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो0 ललिता राव, सेवानिवृत्त–बी0एड0 विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
5.	प्रो0 सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर–स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी, कानपुर। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
6.	श्री फौजान अलवी, एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, 10 सिन्धिया हाउस, कलाट प्लेस, नई दिल्ली (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
7.	डॉ0 तत्हीर फात्मा, संकायाध्यक्ष–विज्ञान	सदस्य
8.	प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष–कला एवं मानविकी	सदस्य
9.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
10.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
11.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, आचार्य–उर्दू विभाग।	सदस्य
12.	प्रो0 चन्दना डे, आचार्य–शिक्षाशास्त्र विभाग (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
13.	डॉ0 मोहम्मद शारिक, सहायक आचार्य–शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
14.	डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, सहायक आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
15.	श्री साजिद आज़मी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्री
16.	डॉ0 भावना मिश्रा, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया:–

Bmisha

2 / –

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–32.1 :

कार्य परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2024 के कार्यवृत्त का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–32.2 :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2024 के कार्यवृत्त का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–32.3 :

कार्य परिषद् की 31वीं बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की 31वीं बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी तथा बिन्दु संख्या–31.7 में लिये गये निर्णय के क्रम में राजभवन भेजे जाने वाले प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए 01 माह में कार्यवाही पूर्ण किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–32.4 :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–32.5 :

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Amisha

3/–

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–32.6 :

विद्या परिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। कुलसचिव द्वारा विद्या परिषद् के बिन्दु संख्या–4 एवं 5 के सम्बन्ध में विद्या परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराया गया, जिसमें विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–2–79/2023 (सी0पी0पी0–II) दिनांक 08 जनवरी, 2024 के अनुपालन में विश्वविद्यालय में संचालित व्यवसाय प्रशासन विभाग के बी0बी0ए0 एवं एम0बी0ए0 तथा कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों को ए0आई0सी0टी0ई0 से मान्यता दिलाने हेतु आवेदन किये जाने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, एम0बी0ए0 तथा एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में, जो शिक्षक पूर्व से नियुक्त है, उनपर तत्समय यू0जी0सी0 के निर्धारित नियम व शर्तें/शासनादेश लागू होंगे। इन विभागों में भविष्य में होने वाली नियुक्तियों पर ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार तथा यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 दिनांक 18 जुलाई, 2018 के प्रस्तर–1.0 'व्याप्ति' उप प्रस्तर–1.1 (ii) को समेकित रूप से लागू किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–32.7 :

वित्त समिति की 25वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये पर विचार

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की 25वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–32.8 :

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु तैयार किए गये आवेदन पत्र के प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु 'समर्थ' पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप को आधार मानकर तैयार किए गये आवेदन पत्र के प्रारूप पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

उक्त के अतिरिक्त कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र का सम्यक् परीक्षण किये जाने हेतु निम्नलिखित शिक्षकों की समिति गठित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया:–

1. प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष
2. प्रो0 एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष

4/–

Bhisha

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रो0 सौबान सईद, अधिष्ठाता—शैक्षणिक
4. डॉ0 नीरज शुक्ल, कुलानुशासक
5. डॉ0 अताउर रहमान आज़मी, सहायक आचार्य
6. श्री नरेन्द्र कुमार, लखनऊ विश्वविद्यालय
7. कुलसचिव

कुलसचिव द्वारा आवेदन की प्रक्रिया हेतु 'समर्थ' पोर्टल को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव दिया गया। यदि भी प्रस्तावित किया गया कि 'समर्थ' पोर्टल द्वारा आवेदन पत्र की प्रक्रिया सम्पादित करने में कठिनाई आती है, तो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से Consultancy द्वारा अथवा GEM के माध्यम से कार्यदायी संस्था का चयन किया जाना उचित होगा। चूंकि विज्ञापन आचार संहिता घोषित होने से पूर्व किया जाना है, अतएव समयबद्धता के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समिति युक्तियुक्त परीक्षण करेगी कि नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु अंकित उपरोक्त प्रक्रियाओं में से बिना विलम्ब के नियमानुसार किस प्रकार/स्रोत के माध्यम से सम्पादित कराया जाना विश्वविद्यालय हित में उचित होगा। प्रकरण समयबद्ध होने के कारण इस पर अनुमोदन दिये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अग्रेतर यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति विज्ञापित किए जाने वाले पदों में से दिव्यांगजन आरक्षण हेतु पद चिन्हित किए जाने की कार्यवाही इस संदर्भ में समय-समय पर जारी शासनादेशों के आलोक में सम्पादित करेगी, जिस पर अनुमोदन दिये जाने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

<u>बिन्दु संख्या—32.9 :</u>

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु परिनियमावली, शासनादेशों एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत निर्देशों के आधार पर गठित समिति द्वारा तैयार किये गये नियमों तथा शर्तों के अनुसार वृहत विज्ञापन के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु परिनियमावली, शासनादेशों एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत निर्देशों के आधार पर गठित समिति द्वारा तैयार किये गये नियमों तथा शर्तों के अनुसार वृहत विज्ञापन के प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या—32.10 :</u>

श्री अंगद सिंह, माननीय सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 06—02—2024 को नियम 115 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किये जाने तथा सम्बद्धता का अधिकार दिये जाने सम्बन्धी विधान परिषद् में दी गयी सूचना से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद द्वारा श्री अंगद सिंह, माननीय सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 06—02—2024 को नियम 115 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किये जाने तथा सम्बद्धता का अधिकार दिये जाने सम्बन्धी विधान परिषद् में दी गयी सूचना से कार्य परिषद् संसूचित हुई।

Bmisha

5/—

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–32.11 :

विश्वविद्यालय की अवकाश सूची वर्ष 2024 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की अवकाश सूची वर्ष 2024 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–32.12 :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों कें अनुपालन में विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं की शिकायतों के समाधान हेतु प्रो0 नवीन खरे, (सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष–रसायन विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय) को आगामी 03 वर्षों अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए लोकपाल नियुक्ति किये जाने तथा प्रवेश, छात्रावास, स्वास्थ्य आदि समस्यओं के निराकरण हेतु गठित छात्र शिकायत निरावरण समिति से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों कें अनुपालन में विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं की शिकायतों के समाधान हेतु प्रो0 नवीन खरे, (सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष–रसायन विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय) को आगामी 03 वर्षों अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए लोकपाल नियुक्ति किये जाने तथा प्रवेश, छात्रावास, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के निराकरण हेतु गठित छात्र शिकायत निरावरण समिति से सहमति व्यक्त करते हुए कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–32.13 :

कार्य परिषद् की 30वीं बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2023 के अन्य बिन्दु संख्या–30(10) में लिये गये निर्णय के क्रम में डॉ0 तत्हीर फातमा को निर्गत नोटिस के क्रम में उनके द्वारा दिये गये उत्तर दिनांक 05–12–2023 से कार्य परिषद् को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

यह बिन्दु कार्य परिषद् की आन्तरिक सदस्य डॉ0 तत्हीर फातिमा से सम्बन्धित था, जिस कारण इस बिन्दु पर चर्चा होते समय कार्य परिषद् के निर्देश पर डॉ0 तत्हीर फातिमा, सह आचार्य समिति कक्ष से बाहर चली गयीं।

तदोपरान्त कार्य परिषद् की 30वीं बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2023 के अन्य बिन्दु संख्या–30(10) में लिये गये निर्णय के क्रम में डॉ0 तत्हीर फात्मा को निर्गत नोटिस के क्रम में उनके द्वारा दिये गये उत्तर दिनांक 05–12–2023 से कार्य परिषद् अवगत हुई। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि "किसी भी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गयी अवज्ञा (Insubordination) एक गंभीर प्रकृति का कृत्य है।" अतः प्रकरण पर नियमानुसार अनुशासनिक समिति का गठन कर डॉ0 तत्हीर फातिमा पर जॉच संस्थित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Bmisha

6/–

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–32.14 :

महिला छात्रावास के बेसमेंट के उपयोग परिर्वतन पर विचार। (सिविल, मैकेनिल एवं बी0एससी0 की प्रयोगशालाओं के रूप में)

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा महिला छात्रावास के बेसमेंट (सिविल, मैकेनिल एवं बी0एससी0 की प्रयोगशालाओं के रूप में) उपयोग परिर्वतन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–32.15 :

पुस्तकालय भवन के तृतीय एवं चतुर्थ तल के उपयोग परिर्वतन पर विचार (भेषजी संकाय की प्रयोगशालाओं, कक्षाओं एवं फैकल्टी रूम के रूप में)।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा पुस्तकालय भवन के तृतीय एवं चतुर्थ तल (भेषजी संकाय की प्रयोगशालाओं, कक्षाओं एवं फैकल्टी रूम के रूप में) उपयोग परिर्वतन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–32.16 :

पुस्तकालय के बेसमेंट के उपयोग परिर्वतन पर विचार। (बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रयोगशाला तथा भेषजी संकाय की प्रयोगशाला के रूप में)

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा पुस्तकालय के बेसमेंट (बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रयोगशाला तथा भेषजी संकाय की प्रयोगशाला के रूप में) उपयोग परिर्वतन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु :

अन्य बिन्दु संख्या–32(1) :

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–32(2) :

फॉर्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.) रेगुलेशन 2014 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों को अंगीकृत कर लागू किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा फॉर्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.) रेगुलेशन 2014 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

7/–

Bmishra

Scanned with OKEN Scanner

अन्य बिन्दु संख्या–32(3) :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) रेगुलेशन 2019 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों को अंगीकृत कर लागू किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) रेगुलेशन 2019 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–32(4) :

अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत (Submit) की गयी जॉच रिपोर्ट के सापेक्ष सम्बन्धित शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में 14 सम्बन्धित शिक्षकों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, तत्क्रम में 13 शिक्षकों द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया है, प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा का अभ्यावेदन अप्राप्त है, जिस पर कार्य परिषद् द्वारा प्राप्त 13 शिक्षकों के अभ्यावेदन को माननीय कार्य परिषद् के समक्ष खोलने का निर्णय लिया गया।

तत्क्रम में डॉ0 प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य–भूगोल, डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी, सह आचार्य–उर्दू, डॉ0 लक्ष्मण सिंह, सहायक आचार्य–इतिहास, डॉ0 ऊधम सिंह, सहायक आचार्य–अर्थशास्त्र, डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य–राजनीतिशास्त्र, प्रो0 संजीव कुमार त्रिवेदी, आचार्य (संविदा), डॉ0 राजेन्द्र त्रिपाठी, सह आचार्य (संविदा), डॉ0 ममता शुक्ला, सह आचार्य (संविदा), डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य (संविदा), श्रीमती निधि सोनकर, सहायक आचार्य (संविदा), डॉ0 शावेज़ अली सिद्दीकी, सहायक आचार्य (संविदा), डॉ0 नदीम अंसारी, सहायक आचार्य (संविदा) एवं डॉ0 सुमन कुमार मिश्र, सहायक आचार्य (संविदा) द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन के लिफाफे खोले गये। कुलसचिव को प्राप्त अभ्यावेदनों की Summary तैयार कर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

Bmisha

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव / सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner